

**कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चम्पावत।**

संख्या: 731 / जि0आ0अधि0 / विज्ञ0 / 2024-25 / म0दु0व्य0 / चम्पावत / दिनांक: 19, मार्च, 2025

::विज्ञापित::

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या: 176/XXIII-1 / 2025-04(01) / 2025/देहरादून/दिनांक: 05.03.2025 एवं आयुक्तालय की विज्ञापित संख्या: 25032/सात लाई0-48/आबकारी नीति-2025/देहरादून: दिनांक: 17.03.2025 के क्रम में राज्य में अव्यवस्थापित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन लाटरी की प्रक्रिया के माध्यम से व्यवस्थापन किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:-

क्र0स0	विवरण	दिनांक
1	फुटकर मदिरा दुकानों के नवीनीकरण के पश्चात् अवशेष अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन प्रथम चरण की लॉटरी हेतु आवेदन की तिथि	20.03.2025 से 22.03.2025 अपरान्ह 02:00 बजे तक
2	प्रथम चरण की लॉटरी की तिथि	22.03.2025 सांय 04:30 बजे से प्रक्रिया पूर्ण होने तक
3	प्रथम चरण की लॉटरी के पश्चात् अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु द्वितीय चरण की लॉटरी हेतु आवेदन की तिथि	23.03.2025 से 24.03.2025 को अपरान्ह 02:00 बजे तक
4	द्वितीय चरण की लॉटरी की तिथि	24.03.2025 को सांय 04:30बजे से प्रक्रिया पूर्ण होने तक
5	द्वितीय चरण की लॉटरी के पश्चात् प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर मदिरा दुकानों का आवंटन	25.03.2025 को सांय 05:00 बजे तक

अव्यवस्थापित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का विवरण:-

क्र0 सं0	मदिरा दुकान का नाम	प्रकार	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2025-26 लाई0फीस रु0	वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक अधिभार रु0	हैसियत की धनराशि रु0
01	बोतडी-पनार (नव सृजित)	विदेशी मदिरा	37511684	375000	37136684	5626753
02	मंच (नव सृजित)	विदेशी मदिरा	45000000	450000	44550000	6750000
03	वालिक (नव सृजित)	देशी मदिरा	50000000	500000	49500000	7500000
04	मंच (नव सृजित)	देशी मदिरा	45000000	450000	44550000	6750000

जनपद में मदिरा की फुटकर विक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं नवीनीकरण उपरांत अवशेष अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों को लॉटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की मदिरा दुकानों की सूची, निर्धारित राजस्व की सूची, अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें तथा व्यवस्थापन की सम्पूर्ण समय सारणी विभागीय वेबसाईट [www.uttrakhandexcise.org.in](http://www.uttrakhandexcise.org.in) तथा [www.gov.in](http://www.gov.in) से प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जनपद के कार्यालय जिलाधिकारी/कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी/कार्यालय आबकारी निरीक्षक व कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

/   
 जिला आबकारी अधिकारी,   
 चम्पावत।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन।
02. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
03. जिलाधिकारी, चम्पावत।
05. मुख्य कृषि अधिकारी, चम्पावत (नामित सदस्य)।
05. संयुक्त आबकारी आयुक्त, कुमाँयू मण्डल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
06. जिला सूचना अधिकारी, चम्पावत।
07. आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-1, चम्पावत/क्षेत्र-2, टनकपुर।
08. हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला/दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड अंक में न्यूनतम दरों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

/   
 जिला आबकारी अधिकारी,   
 चम्पावत।